



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13681

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 560 सन् 2026

राम नारायण

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सतीश चंद्र द्विवेदी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र द्विवेदी और प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह को सुना गया।
2. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि रिट याचिका स्वयं विचारणीय नहीं हो सकती है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता के पास केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत करने का वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। याचिकाकर्ता अपने पिता से संबंधित लाभों के विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग कर रहा है, जो प्रयागराज स्थित उत्तरी रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं।
3. इस तथ्य को देखते हुए, याचिकाकर्ता इस याचिका को वापस लेना चाहता है और संबंधित न्यायालय में उचित कार्यवाही करना चाहता है।
4. तदनुसार, याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय में कार्यवाही करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निस्तारण किया जाता है।

20 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।